

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं कराती है ।
- (ii) किली में प्रभार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिडकी केवल आवासीय उद्योजक

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 699 दिनांक 31/08/2020

जहाँ रामचन्द्र पुरोहित डा० श्री देवदत्त पुरोहित

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घाता 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 2784/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/3355 3356

दिनांक 31/08/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 21 ई 238 चौपामनी
इंडस्ट्रिज बॉर्ड

दिनांक 31/08/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)

6377880171

PHOTE COPY A.

ANUPAMA 2040.10